बाल मित्र मंडल

बाल मित्र मंडल से बाल मित्र दिल्ली की ओर...

"सबको शिक्षा मिले
यही समग्र और स्थाई विकास की आधारशीला है"

-श्री कैलाश सत्यार्थी

नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

बाल मित्र समाज में हर बालक-बालिका शिक्षित, सुरक्षित, स्वस्थ एवं स्वतंत्र है।

कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फ़ाउंडेशन

विजन और मिशन

बाल केंद्रित नीतियों एवं लोगों की भागीदारी से बच्चों के विरुद्ध सभी तरह की हिंसा और शोषण को समाप्त करना।

नीति: समाधान केन्द्रित अध्ययन एवं जानकारी के माध्यम से नीतियों और कानूनो को सुनिश्चित करने के लिए सरकारों, सिविल सोसाइटी, कॉर्पोरेट एवं अन्य भागीदारों के साथ मिलकर जानकारी एवं कौशल से बच्चों कि मूलभूत आवशयकताओ को पूरा करता है।

कार्य अभ्यास: बच्चों एवं युवाओं कि स्वतन्त्रता, स्वास्थ्य, शिक्षा को स्थापित करना, नये विचारों को बढ़ावा देने के दौरान सफल सामाजिक प्रयोगों एवं बाल केन्द्रित कार्यक्रमों एवं विचारों को साझा करना और उसको अन्य जगहो पर विस्तार करना।

लोग: बच्चों और युवाओं की शक्ति का सदुपयोग उनकी खुद कि आज़ादी और अधिकारो के लिए करना। करुणा को वैश्वीकरण कर इतिहास के सबसे बड़े वैश्विक अभियान के माध्यम से दुनिया भर के लाखो वंचित बच्चों तक पहुँचना।

बाल मित्र मंडल के विचार

कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन एक दशक से अधिक समय में 600 से अधिक गांवों में बाल मित्र ग्राम (बी.एम.जी) की स्थापना कर चुका है। यहां सभी बच्चे शिक्षित, स्वस्थ, सुरक्षित एवं स्वतंत्र बचपन की ओर अग्रसर हैं। बीएमजी की सफलता के बाद देश की राजधानी दिल्ली की स्लम बस्तियों में इस बाल केंद्रित विकास की विचारधारा को ज़मीन पर उतारकर बाल मित्र मंडल (बी.एम.एम) का निर्माण करना है।

बाल मित्र मंडल (बी.एम.एम)

एक ऐसी बस्ती/मोहल्ला/शहर जहां हर बच्चे को सचमुच में इंसान समझा जाए, उम्र में भले वह छोटा ही क्यों न हो, लेकिन आदमी और भगवान के द्वारा बनाए कानून एवं व्यवस्था में उसे बराबरी का हक मिलता हो, ऐसी बस्ती, शहर या मोहल्ले को बाल मित्र मंडल के नाम से जाना जाता है। जहाँ बच्चों को दोस्त मान कर उस भाव से सजाया-संवारा जाए, जैसे एक बीज को बोने के बाद उसके उगने की प्रतीक्षा की जाती है और उसके पौधे बनने पर हर रोज उसे सींचा जाता है। पौधों में खिलते हुए फूलों और फूलों में आए हुए फलों का इंतजार किया जाता है। बाल मित्र मंडल के बच्चों को ऐसे ही विचारों से सींचा जाता है और ऐसी बस्ती/मोहल्ले का निर्माण सामुदायिक भागीदारी एवं स्थानीय सरकारों के सहयोग से होता है।

बच्चों की भागीदारी से बाल विकास

बाल मित्र मंडल में बच्चों के नेतृत्व में बच्चों से संबंधित होने वाली समस्याओं, जैसे बाल मजदूरी, घरेलू बाल मजदूरी, बाल विवाह, बाल यौन हिंसा एवं बाल दुर्व्यापार को समाप्त किया जाता है। यहां सभी बच्चों को नि:शुल्क, अनिवार्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के साथ ही बच्चों के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं को समाज एवं स्थानीय सरकारों द्वारा पूरा किया जाता है। उस बस्ती, मोहल्ले के बच्चे खासकर लड़कियाँ अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति सचेत होती हैं। जहां लड़कियाँ सहमी-सहमी रहने की बजाय खुलकर बोलती हों। उनमें बचपन से ही सही नेतृत्व का विकास हो। यहा तक कि परिवार के साथ-साथ स्कूल, बस्ती और मोहल्लों के प्रति वे अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। लोकतंत्र कैसे बनता है, कैसे जनता की भागीदारी से चलता है, उसके बारे में समझदारी तथा जिम्मेदारी महसूस करना सीखें।

हर बाल मित्र मंडल में बच्चों की एक बाल पंचायत बने, जिसे खुद बच्चे अपनी इच्छा से चुनें। उनमें से ही बाल सरपंच, उप सरपंच, बाल

पंचायत मंत्री बने। ऐसे बच्चों की बाल पंचायत की आवाज़ बस्ती की आत्मा की आवाज़ होगी। पूरी बस्ती के गौरव बच्चों को समाज, समुदाय और स्थानीय निकाय महत्व दें और बाल पंचायत को मान्यता देकर उसकी बैठकों में भागीदारी करें। बाल पंचायत के प्रतिनिधियों को अपनी पंचायतों में बुलाकर उनकी समस्याओं को सुनें तथा पंचायत की सलाह के आधार पर बाल केंद्रित अवधारणा को विकसित करें। इसमें बस्ती के विकास को केंद्र में रखकर योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए। ऐसी आदर्श स्थिति वाली बस्ती, मोहल्लों को बाल मित्र मंडल के नाम से जाना जाता है। ऐसी बस्ती/मोहल्लों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और तरक्की बच्चों एवं समुदाय की भागीदारी से सुनिश्चित होने की गारंटी होती है।

बाल मित्र मंडल के उद्देश्य एवं जरूरी शर्तें

1. बाल मजदूरी एवं बाल दासता मुक्त समाज।
2. बाल शोषण रहित समुदाय।
3. बस्ती के सभी बच्चे स्कूल में हों।
4. स्कूलों में नि:शुल्क, अनिवार्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाए।
5. बाल विवाह से मुक्त समुदाय।

6. सामुदायिक स्तर पर सभी बच्चों की चुनी हुई बाल पंचायत का निर्माण हो। ताकि बच्चों में नेतृत्व, जिम्मेदारी, सहभागिता एवं निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो।

7. समुदाय के विकास में बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

8. स्थानीय निकाय, स्थानीय सरकार द्वारा बाल पंचायतों को मान्यता एवं निर्णय तथा नियोजन की प्रक्रिया में बाल पंचायतों की सक्रिय भागीदारी।

9. जहाँ बाल विवाह का नामोनिशान तक नहीं हो।

10. जहाँ लिंग, जाति एवं वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो।

11. जहाँ बच्चों के विरुद्ध हर प्रकार की हिंसा का अंत हो। जहां पढ़ाई दिखावा व खानापूर्ति न हो। जहाँ अच्छी पढ़ाई शिक्षकों की जिम्मेदारी हो। जहाँ बच्चों को जरूरी सुविधाएं-जैसे, ब्लेक बोर्ड, चाक, टाटपट्टी, टेबलकुर्सी, पीने का साफ पानी, साफ शौचालय एवं खेलकूद की सुविधाएं प्रदान करना सबकी जिम्मेदारी हो।

कैसे बनता है बाल मित्र मंडल

कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन बस्ती या उसके आसपास के चेतनाशील नौजवानों को चुनकर और उन्हें प्रशिक्षित कर बाल मित्र मंडल कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त करता है। ऐसे कार्यकर्ता बस्ती के प्रधानों, सदस्यों, शिक्षकों, बच्चों के माता-पिता, जागरूक लोगों तथा बच्चों के बीच तालमेल बिठाकर और विश्वास में लेकर उन्हें बाल मित्र मंडल के विचार को समझाते हैं। सबकी भागीदारी से पहले बाल मजदूरी से मुक्ति, फिर सभी बच्चों का स्कूल में दाखिला, उसके बाद बस्ती में बाल मित्र मंडल संचालन समिति के माध्यम से बाल चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। बाल चुनाव आयोग के माध्यम से चुनी हुई 11 बाल पंचायत प्रतिनिधियों में से सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला बाल सरपंच के रूप में चुना जाता है। उसके बाद अधिक मत प्राप्त करने वाले उप सरपंच एवं मंत्री बनते हैं। बाल पंचायत बनाने का मकसद है कि, बच्चों में नेतृत्व, जिम्मेदारी, सहभागिता एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। अंत में बाल पंचायत एवं स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ मिल-जुलकर काम करने की कोशिश होती है। बाल मित्र मंडल के समन्वय एवं संचालन की जिम्मेदारी, बाल मित्र मंडल संचालन कमेटी की होती है, जिसमें बाल मित्र युवा शक्ति मंडल, महिला शक्ति मंडल, अभिभावक मंडल, किशोर बालिका शक्ति मंडल आदि उसके हिस्से होते हैं। पूरे बाल मित्र मंडल की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहते हैं।

क्यूँ बने बाल मित्र मंडल ?

- गांवों से परिवारों के पलायन के बाद शहरों की स्लम बस्तियों में पूरी आबादी का बड़ा हिस्सा रहता है।
- इन्हीं बस्तियों एवं मुहल्लों से निकलकर बच्चे बाल मजदूरी, बाल भिक्षावृत्ति, बाल यौन शोषण, बाल विवाह व बाल दुर्व्यापार के शिकार होते हैं।
- वयस्क नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता, जबकि गांवों से आए अनपढ़ बच्चों को मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ता है।
- शहर की स्लम बस्तियों की लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना।
- सभी तरह के शोषण से मुक्त समाज का निर्माण करना तथा हरेक बच्चे को शिक्षित, स्वस्थ, सुरक्षित एवं स्वतंत्र बनाना।

बाल मित्र मंडल बनाने में आपका योगदान

- बाल मजदूरी, बाल दुर्व्यापार, बाल यौन शोषण, बाल विवाह, बलात भिक्षावृत्ति के विरुद्ध जागरुकता फैलाएं या इसके लिए चलाए जा रहे अभियान में शामिल होइए।
- अपने घरों, ऑफिसों, दुकानों, प्रतिष्ठानों में बच्चों से काम नहीं कराएं। कराने वाले नियोक्ताओं का बहिष्कार करें।

- अपनी बस्ती एवं मोहल्लों के आसपास हो रहे बाल शोषण के बारे में हेल्पलाइन-1098 एवं पुलिस हेल्पलाइन -100 एवं बचपन बचाओआंदोलन हेल्पलाइन 18001027222 पर संपर्क करें।
- अपना समय, ऊर्जा और संसाधन बाल हिंसा के खात्मे और सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में खर्च करें।
- सभी बच्चों को अपने बच्चों जैसा प्यार दें। अगर कोई बच्चा स्कूल से बाहर है, तो यह सुनिश्चित करें कि वह बच्चा स्कूल में हो।

कहाँ-कहाँ हैं बाल मित्र मंडल

प्रथम बाल मित्र मंडल की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली के 4 बड़े स्लम बस्तियों, संजय कैंप चाणक्यपुरी, नई दिल्ली, इसराइल कैंप एवं इंदिरा कैंप, वसंतकुंज, तथा इंदिरा कल्याण विहार, ओखला फेज-1, दक्षिणी दिल्ली में किया गया।

बाल मित्र मण्डल

- बाल मित्र मण्डल समुदाय की संख्या: 04
- कुल घरों की संख्या: 7047
- कुल लोगों की आबादी: 29,808
- कुल बच्चों की संख्या: 15714

बाल मित्र मण्डल की कार्य नीति

- प्रारम्भ: बच्चों के प्रति सभी तरह की हिंसा एवं शोषण का खात्मा एवं शिक्षा से वंचित समुदाय का चुनाव।
- पढ़ाई: सभों बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दिलाना एवं बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना।
- सशक्त: बच्चों के अधिकारों के बारे में लोक जागरूकता कार्यक्रम, रैली एवं बाल पंचायत के माध्यम से मजबूत बनाना।
- समृद्ध: विभिन्न गतिविधियों जैसे स्वास्थ एवं कानूनी जानकारी एवं अन्य विषयों के संबंध में समृद्ध बनाना।
- भागीदारी: समाज के विभिन्न वर्गों जैसे युवा, महिला, किशोरी, किशोरों, सरकार, स्वयंसेवी संगठन एवं स्वयंसेवक की भागीदारी बढ़ाकर बाल केन्द्रित विचारधारा को मजबूत बनाना।

बाल मित्र मंडल कार्यक्रम के परिणाम

स्कूल में दाखिला

- ✓ स्कूल में दाखिले (6 से 14 वर्ष की उम्र के) में 88 प्रतिशत से बढ़कर 98 प्रतिशत हो गया।
- ✓ 190 बच्चों को मजदूरी से निकालकर स्कूलों में दाखिला किया।
- ✓ लगातार स्कूल के संपर्क में रहकर दाखिल बच्चों की अच्छी उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- ✓ 458 बच्चों का आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ई.डब्लू.एस.) के अंतर्गत प्राइवेट स्कूल में दाखिला।

बाल नेतृत्व

- ✓ बाल पंचायत के लिए प्रत्येक समूह से 11 बच्चे बाल नेता के रूप में चुने गए| करीब 1400 बच्चों ने मतदान कर कुल 44 बाल नेता चुने जो उनके लिए समुदाय में इन मुद्दों पर काम करेंगे जैसे सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पानी।

समुदाय की सहभागिता

- ✓ तकरीबन 900 बच्चे 20 बाल अधिकार रैलियों का हिस्सा बने।
- ✓ 450 महिलाएं एवं बच्चों ने 4 स्वास्थ्य जागरूकता शिविर में भाग लिया।
- ✓ 2700 बच्चे बाल अधिकार जागरूकता सत्र में शामिल हुए।

बाल शोषण का कोई मामला दर्ज नहीं

- ✓ बाल विवाह, बाल यौन शोषण, बाल मजदूरी या बाल दुर्व्यापार का किसी भी समुदाय में मामला दर्ज नहीं हुआ है।
- ✓ 2 गुमशुदा बच्चे जो बाद में ढूंढ लिए गए।

अन्य सिविल सोसाइटी संग साझेदारी

- ✓ अन्य 4 सिविल सोसाइटी संग साझेदारी कर कुल 300 बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीविका कार्यक्रम की सुविधा पहुंचाई।
- ✓ संजय कैंप के 42 बच्चे हफ्ते में दो बार अमेरिकी दूतावास विद्यालय के कार्यक्रम के तहत अंग्रेजी कक्षा के लिए जाते हैं।
- ✓ प्री टू डॉक नामक संस्था के सहयोग से 4 स्वास्थ्य जागरुकता शिविर लगाए गये।

सरकार की भागेदारी

- ✓ संजय कैंप में पानी की पाइपलाइन बिछाई गई।
- ✓ इंद्रा कल्याण विहार में तत्कालीन गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं बाल मित्र मण्डल के बच्चों द्वारा नए विद्यालय का उदघाटन हुआ।
- ✓ NDMC द्वारा स्कूल के ड्रॉपआउट बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण कक्षाएं शुरू की गईं।
- ✓ निकटतम पुलिस स्टेशन का समुदाय के प्रति कार्य को लेकर और जिम्मेदार और सक्रिय होना।
- ✓ 90 प्रतिशत तक का आधार नामांकन।
- ✓ सुकन्या समृद्धि योजना में लड़कियों को लाभ मिला।
- ✓ 338 बच्चों और समुदाय के लोगों का नए आधार कार्ड के लिए नामांकन हुआ।
- ✓ सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना एवं पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोला गया।
- ✓ दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समुदाय एवं बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु 4 विधिक शिविर लगाए गए।

स्वयंसेवकों की भागेदारी

- ✓ 'रंग बदलाव के' कार्यक्रम में 1600 कलाकारों, चित्रकारों, लेखकों एवं 20 फोटोग्राफरों की स्वयंसेवक के रूप में भागीदारी देखने को मिली, जिन्होंने संजय कैंप की कहानी को चित्रों, लेख, कहानी एवं तस्वीरों के माध्यम से बताया गया।
- ✓ 200 स्वयंसेवकों ने समुदाय के बच्चों के गणित, विज्ञान, नाटक, नृत्य, खेलकूद एवं उद्यमी के सेशन लिए गए।

कॉरपोरेट की साझेदारी

- ✓ सबवे (सैंडविच बेचने वाली कंपनी) द्वारा इंद्रा कल्याण विहार में कैरियर सत्र का आयोजन हुआ जिसमें 40 युवा ने भाग लिया, उसमें उन्हे नौकरी के लिए अच्छा बयो-डेटा लिखना तथा इंटरव्यू के बारे में बताया गया।
- ✓ संजय कैंप में आयोजित 'रंग बदलाव के' कार्यक्रम में शालीमार पेंट्स और नैस्ले (मैगी) के साथ 20 अन्य कॉरपोरेट ने भागीदारी की।

मीडिया की साझेदारी

- ✓ 15 आलेख बाल मित्र मण्डल की परिस्थिति एवं गतिविधियों पर लिखे गए- मीडिया की भागेदारी से लोगों के विचार में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिलती है और इससे स्थानीय अधिकारियों और सरकार पर दबाव पड़ता है।
- ✓ 5 से ज्यादा विभिन्न विषयों पर सोशल मीडिया के विडोयों को हजारों दर्शकों ने देखा।

Registered Office: L-6, III Floor, Kalkaji, New Delhi 110019 T. +91 11 49211111 info@satyarthi.org.in
Head Office: 23, Friends Colony West, New Delhi 110065 T. +91 11 47511111 www.satyarthi.org.in